

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-4/निदे० अनु० जनजाति आ० वि० (रा० स्कीम) संधा० 181-03/2026-18

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
प० चम्पारण (बेतिया)/भागलपुर/
बांका/किशनगंज एवं जमुई।

पटना, दिनांक-०८/०५/२०२६

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प० चम्पारण (बेतिया), जिलान्तर्गत संचालित पाँच अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय एवं +2 एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय, प० चम्पारण तथा जमुई के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल ₹5,58,08,650/- (पाँच करोड़ अठानावन लाख आठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प० चम्पारण (बेतिया), जिलान्तर्गत संचालित पाँच अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय एवं +2 एकलव्य मॉडल आवासीय उच्च विद्यालय, प० चम्पारण तथा जमुई के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल ₹18,00,00,000/- (अठारह करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 18 दिनांक-०८/०५/२०२६ द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार राशि कुल ₹5,58,08,650/- (पाँच करोड़ अठानावन लाख आठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2-आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0106-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0106.01.01-वेतन, 0106.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0106.01.04 मकान किराया भत्ता, 0106.01.05-परिवहन भत्ता, 0106.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0106.01.07-अन्य भत्ता, 0106.13.01-कार्यालय व्यय, 0106.13.04-विद्युत प्रभार एवं 0106.28.02-संविदा सेवाएँ मद में मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225022770106 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3-इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, तथा संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4-राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17-4-98 एवं पत्रांक-3576 दिनांक-01.04.2024 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6-राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

निदेशक

ज्ञापांक-4/निदे0 अनु0जनजातिआ0वि0(रा0 स्कीम) संधा0 181-03/2026- 19 पटना, दिनांक-08/05/2022
प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित जिला के जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक कल्याण/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के
संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटित राशि की विवरणी
2225022770106

क्र० सं०	जिला	वेतन (01.01)	जीवन यापन भत्ता (01.03)	मकान किराया भत्ता (01.04)	परिवहन भत्ता (01.05)	चिकित्सा भत्ता (01.06)	अन्य भत्ता (01.07)	कुल वेतनादि (क्रमांक 3 से 8 तक का योग)	कार्यालय व्यय (13.01)	विद्युत प्रभार (13.04)	संविदा सेवाएँ (28.02)	कुल आवंटित राशि (क्रमांक 9 से 13 तक का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प० चम्पारण	17200000	10320000	258000	20640	215000	6020	28019660	180000	780000	270000	29249660
2	भागलपुर	3800000	2280000	57000	4560	47500	1330	6190390	30000	130000	45000	6395390
3	बांका	4000000	2400000	60000	4800	50000	1400	6516200	30000	130000	45000	6721200
4	किशनगंज	4600000	2760000	69000	5520	57500	1610	7493630	30000	130000	45000	7698630
5	जमुई	3400000	2040000	51000	4080	42500	1190	5538770	30000	130000	45000	5743770
	कुल योग	33000000	19800000	495000	39600	412500	11550	53758650	300000	1300000	450000	55808650

पत्रांक- 189

दिनांक- 08/05/2026 का अनुलग्नक

कुल राशि (पाँच करोड़ अठानवन लाख आठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र

निदेशक ।